



बिहार सरकार  
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग  
पशुपालन निदेशालय  
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक- 8 बजट (1) 19/2025... 15.8/2025

दिनांक- 20/02/2026

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0से0  
निदेशक, पशुपालन,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम, मांग संख्या-02 के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 103 कुक्कुट विकास, 0106 मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण, विपत्र कोड 02-2403001030106, बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0102 बैक यार्ड मुर्गी पालन योजना, विपत्रकोड 02-2403007890102 एवं बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, 0125 बैकयार्ड मुर्गीपालन योजना, विपत्रकोड 02-2403007960125 के अन्तर्गत कुल ₹ 2,58,83,700/- (दो करोड़ अनठावन लाख तेरासी हजार सात सौ) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय राज्यादेश संख्या 3653 दिनांक 14.08.2025 के आलोक में पशुपालन निदेशालय के आवंटनादेश संख्या 79 (नि0) आ0 दिनांक 04.09.2025 के क्रम में निम्न तालिका के अनुसार व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹ 2,58,83,700/- (दो करोड़ अनठावन लाख तेरासी हजार सात सौ) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

क्र० सं०	विषय शीर्ष	विपत्र कोड											
		02-2403001030106			02-2403007890102			02-2403007960125			कुल आवंटित राशि (रु० में)		
		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	31.06-सहायक अनुदान- गैर वेतन	1,52,67,800	82,21,200	2,34,89,000	2,98,34,300	1,60,64,700	4,58,99,000	29,67,200	15,97,800	45,65,000	4,80,69,300	2,58,83,700	7,39,53,000
	कुल:-	1,52,67,800	82,21,200	2,34,89,000	2,98,34,300	1,60,64,700	4,58,99,000	29,67,200	15,97,800	45,65,000	4,80,69,300	2,58,83,700	7,39,53,000

(दो करोड़ अनठावन लाख तेरासी हजार सात सौ) मात्र।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम, मांग सं०- 2 के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 103 कुक्कुट विकास, 0106 मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण, विपत्र कोड 02-2403001030106, बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0102 बैक यार्ड मुर्गी पालन योजना, विपत्रकोड 02-2403007890102 एवं बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0125 बैकयार्ड मुर्गीपालन योजना, विपत्रकोड 02-2403007960125 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3. यह आवंटन राज्य स्कीम अन्तर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत अनुदानित दर पर लो-इनपुट प्रजाति के चूजों के वितरण की योजना" के लिए दिया जा रहा है।

9/2

4. इस राशि की निकासी निदेशक, पशुपालन, बिहार के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से को जायेगी एवं बिहार लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट ऐजेन्सी (BLDA), पटना के पी0एल0 खाता (संख्या-PBBPLA028) में अंतरित किया जायेगा।

5. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98, 227/वि०, दिनांक 28.03.2025 एवं 235/वि० दिनांक 01.04.2025 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग -1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(घ) वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रत्येक प्रतिवेदन 15 मार्च 2026 तक अवश्य भेजा जाय।

6. जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या- 8 बजट (1) 19/2025.....158/वि०/आ०

पटना-15, दिनांक.....20/02/2026

**प्रतिलिपि** - उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या-टी0ए0- 57-96-97- प0पा0-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि**- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0-405/98 पार्ट-3909 वि० (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा-09/योजना शाखा-10 एवं 06, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।